संख्या– 683 /एक–10–2021–33(221)/2011 टीसी–2

प्रेषक,

महेन्द्र सिंह
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
बलरामपुर एवं देवरिया।

राजस्व अनुभाग–10 **लखनऊः दिनांकः 30 मार्च, 2021**

विषयः– कोविड–19 के दृष्टिगत हुए व्यय के लम्बित देयों के भुगतान हेतु धनराशि का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी बलरामपुर के पत्र संख्या 1840/आपदा लिपिक /कोविड–किट 2021 दि0 20 मार्च 2021 एवं जिलाधिकारी देवरिया के पत्र संख्या 1123/ आपदा 2021 दि0 22 मार्च 2021 द्वारा 07/15 दिन की वितरित कच्ची खाद्य सामग्री के सम्बन्ध में हुए व्यय के लम्बित भुगतान हेतु की गई मांग क्रमशः रू0 649.09 लाख एवं रू0 933.37 लाख के दृष्टिगत यथा निर्णय, जनपद द्वारा उपलब्ध करायी गई लाभार्थियों की सूची में अंकित फोन नम्बरों से प्रति तहसील न्यूनतम् 50 लाभार्थियों से रैण्डमली पुष्टि की गई, जिसमें जनपद बलरामपुर में 161 लाभार्थियों में से 68 तथा जनपद देवरिया में 250 में से 81लाभार्थियों द्वारा सामग्री प्राप्त होने की पुष्टि नही की गई। **इस प्रकार जनपद बलरामपुर में 57.76 प्रतिशत तथा जनपद देवरिया में 67.60 प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा कच्ची सामग्री प्राप्त होने की पुष्टि के दृष्टिगत, सम्यक विचारोंपरान्त मांगी गई धनराशि के सापेक्ष यथा पुष्टि, निम्नानुसार रू0 827.61 लाख (रू0 आठ करोड़ सत्ताईस लाख इकसठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2020–21 में सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–**

(धनराशि लाख रू0 में)

क0	जनपद का नाम	जनपद द्वारा मांग की गई धनराशि का मद/कार्य	राशन किट का लम्बित भुगतान	**आवंटित धनराशि**	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	बलरामपुर	7/15 दिन की राशन किट	649.09	**196.65**	प्रारूप–3 के अनुसार जिले में रू0 178.26 लाख की धनराशि अवशेष है।
2	देवरिया	15 दिन की राशन किट	933.37	**630.96**	
		योग	1582.46	**827.61**	

(रू0 आठ करोड़ सत्ताईस लाख इकसठ हजार मात्र)

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। फूड पैकेट में मांग की गई धनराशि के सापेक्ष, डिटेल प्राप्त होने पर धनराशि आवंटित करने पर विचार किया जाएगा।

(2) बड़ी संख्या में लाभार्थियों द्वारा राशन किट प्राप्त नही होने की पुष्टि के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा लाभार्थियों का पुनः सत्यापन कराने के बाद ही धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(4) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2021 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2021 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–09–राज्य सरकार घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

30/3/21

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–683 (1)/एक–10–2021–33(221)/2011 टीसी–2, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
5– सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
6– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
7– सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
9– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।